समाहरणालय, समस्तीपुर
(जिला नजारत प्रशाखा)
आदेश

समाहरणालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं अन्य कार्य हेतु भाड़े पर बोलेरो/स्कॉर्पियो/सफारी/टोयोटा इनोवा एवं टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एवं अन्य वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रकाशित निविदा में जिला निविदा समिति द्वारा निम्नरूपेण वाहन का दर प्रस्तावित किया गया है।

क्र.	वाहन का प्रमार	दर प्रतिदिन ईंधन रहित एवं चालक सहित (सभी कर सहित)	दर प्रतिमाह ईंधन रहित एवं चालक सहित (सभी कर सहित)	दर प्रतिमाह ईंधन सहित 1100 कि.मी. तक एवं चालक सहित (सभी कर सहित)	दर प्रतिमाह ईंधन सहित 1100 कि.मी. तक से अधिक दूरी तय करने पर दर प्रति कि.मी. (सभी कर सहित)
1	बोलेरो एवं समकक्ष वाहन	1,150.00	29,000.00	38,000.00	11.00
2	स्कॉर्पियो एवं समकक्ष वाहन	1,600.00	33,000.00	40,000.00	12.00
3	टोयोटा इनोवा एवं समकक्ष वाहन	2,000.00	37,000.00	46,000.00	13.00

उपरोक्त वाहन भाड़ा की दर को जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के आदेश दिनांक–22.08.2025 (संचिका संख्या–X-04/2025 टि०पृ०सं०–04) द्वारा निविदा में प्रकाशित नियम एवं शर्तों पर रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>सरकारी कार्य हेतु उपरोक्त दर पर वाहन उपलब्ध कराने वाले वाहन मालिक द्वारा निम्नांकित शर्तों के अधीन एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा :–</u>

1. भाड़े पर वाहन 11 महीने के लिए किया जायेगा। वाहन के रख–रखाव की स्थिति एवं आपके अन्य आचरण के आलोक में उनका अवधि विस्तार किया जायेगा।
2. भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन का दैनिक रख–रखाव, उस पर होने वाले ईंधन एवं चालक पर होने वाला व्यय संबंधित एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। एजेन्सी द्वारा वैद्य ड्राईविंग लाईसेंसधारी एवं अनुशासित चालक उपलब्ध कराना होगा।
3. गाड़ी का व्यवसायिक निबंधन एवं अन्य कागजात की छायाप्रति अनुबंध के समय उपलब्ध कराना होगा।
4. वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना तथा 40,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चला नहीं होना चाहिए।
5. अधिग्रहित वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार 24×7 किया जाएगा। वाहन आपूर्तिकर्त्ता, आपूर्ति किये गये वाहन को नियत स्थान एवं समय पर ससमय भेजेगें। संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्तिकर्त्ता सुनिश्चित करेंगे कि वाहन एवं चालक की सेवा नजारत उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर कार्यालय या उसके पदाधिकारी/कर्मी को प्रतिदिन अथवा आवश्यकता पड़ने पर निश्चित किये गये समय पर उपलब्ध करायेंगे। 15 मिनट से ज्यादा की विलंब होन पर विभाग को अधिकार होगा कि वे अन्य वाहन सेवा ले लेंगे एवं अन्य वाहन को भुगतान किये गये राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता से किया जायेगा।
6. वाहन आपूर्तिकर्त्ता सप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक की वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी।
7. वाहन आपूर्तिकर्त्ता आपूर्ति किये गये वाहन का Maintenance एवं Servicing Duty Hours के बाद अथवा अवकाश के दिनों में कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त करेंगे।
8. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण के स्थिति मे वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदण्ड का वाहन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

उक्त स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता से की जायेगी।

9 वाहन आपूर्तिकर्त्ता केवल Comprehensive Permit एवं वाहन की ही सेवा प्रदान करेंगे एवं वाहन का निबंधन बिहार राज्य व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए।

10 आपूर्ति किये गये वाहन, आदेश निर्गत तिथि से तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैद्य निबंधन प्रमाण–पत्र, Comprehensive Insurance third Party and Occupants के साथ PUC Permit एवं अन्य प्रासंगिक लाईसेन्स/Permit जो DTO एवं वैद्यानिक संस्था द्वारा व्यवसायिक परिचालन के लिए आवश्यक होना चाहिए तथा उसका नवीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए।

11 किराये पर दिये जाने वाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर तथा बाहर से साफ–सुथरा एवं हाईजैनिक स्थिति में होनी चाहिए तथा वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का RC, Insurance, PUC चालक के Driving Licencve की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति/कार्यालय में जमा करना होगा।

12. सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा की एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया होना चाहिए तथा वाहन में मोबाईल चार्जर, टिशू पेपर बॉक्स तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसूस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए।

13. लॉग–बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में संधारण करना होगा एवं वाहन आपूर्तिकर्त्ता/चालक द्वारा लॉगबुक में प्रतिदिन आरंभिक कि०मी०, अंतिम कि०मी० परिचालित दूरी अंकित करके वाहन का उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर तुरन्त प्राप्त करेंगे।

14. यात्रा की दूरी गणना, यात्रा आरम्भ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिए गैरेज से या गाड़ी को रात्रि जहाँ रखा जाता है, वहाँ से यात्रा आरम्भ की दूरी भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रतिदिन विभाग द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन पहुँचने पर परिचालन हेतु कि०मी० की गणना आरम्भ कर विभाग द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरान्त वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निदेश प्राप्त होने तक ही परिचालित कि०मी० की गणना की जायेगी। किसी भी स्थिति में शाम को कार्य स्थल से राशि ठहराव स्थल पर, वाहन को ले जाने एवं सुबह रात्रि ठहराव स्थल से कार्य स्थल तक पहुँचने में परिचालित यात्रा का भुगतान कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा और न ही उसे लॉग–बुक पर अंकित किया जायेगा।

15. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मी, जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिए उपयोग करना शुरू करेंगे, उस समय का कि०मी० संख्या लॉग–बुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरान्त पुनः कि०मी० संख्या लॉग–बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

16. मासिक भुगतान की राशि में से नियमानुसार केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर की कटौती की जायेगी।

17. वाहन आपूर्तिकर्त्ता अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को नोडल के रूप में नियुक्त करेंगे, जिनसे इस कार्यालय द्वारा सम्पर्क किया जायेगा।

18. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इस कार्यालय के लेखा शाखा में एक उपस्थिति पंजी रखी जाएगी, जिस पर प्रतिदिन चालक द्वारा उपस्थिति दर्ज किया जायेगा एवं प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चालक अद्यतन लॉग–बुक इस कार्यालय के प्रतिनिधि के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करेंगे तथा उपस्थिति पंजी में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज नहीं करने अथवा लॉग–बुक जाँच हेतु प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में प्रतिदिन 100/– रूपये की दर से मासिक भाड़े में से कटौती की जायेगी।

19. दैनिक भुगतान के आधार पर यदि वाहन दिया जाता है तो संविदा निर्धारित दर के आधार पर भुगतान किया जायेगा एवं यात्रा के दौरान चालक के लिए खाने एवं रहने का प्रबंध करने पर इस पर होने वाले सभी व्यय वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

20. किसी प्रकार का विवाद का निपटारा समस्तीपुर जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा।

21. द्वितीय पक्ष इस एकरारनामा की मूल प्रति रखेंगे एवं प्रथम पक्ष मूल प्रति की छायाप्रति दी जायेगी।

22. भाड़े पर वाहन का एकरारनामा 11 महीने के लिए वैध होगा। इस दरम्यान वाहन मालिक द्वारा एकरारनामा के अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनको सुधार का एक मौका दिया जायेगा। इसके बावजूद अगर सुधार नहीं किया जाता है तो एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा।

संशोधित वाहन भाड़ा का दर दिनांक–01.10.2025 से प्रभावी होगा।
उपरोक्त आदेश सभी संबंधित को सूचित करें।

ह०/–
नजारत उप समाहर्त्ता,
समस्तीपुर

ज्ञापांक–869/**नजा०, दिनांक**–24/9/25

प्रतिलिपि :– सभी कार्यालय प्रधान, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/9/25
नजारत उप समाहर्त्ता,
समस्तीपुर